



दिनांक 27.07.2021

प्रेस विज्ञप्ति 27/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सीतापुर/थाना लहरपुर

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
 - चोरी के 23 हजार 470 रुपये नगद
 - चोरी के सोने-चाँदी के आभूषण
 - 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, खोखा कारतूस
 - 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 26/27.07.2021 को थाना लहरपुर व थाना तालगांव की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नवीनगर कटरा से आगे बनी पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त विनोद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 23 हजार 470 रुपये नगद, चोरी के सोने-चाँदी के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना तालगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 263/2021 धारा 302/460/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लहरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विनोद निवासी महतोपुरवा (महरिया) थाना ईसानगर जनपद लखीमपुर खीरी।

बरामदगी

1—चोरी के 23 हजार 470 रूपये नगद।

2—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, खोखा कारतूस।

4—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बस्ती/थाना पैकोलिया

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त
गिरफ्तार
 - 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस
 - 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद

दिनांक 27.07.2021 को थाना पैकोलिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कठवतिया सावडीह तिराहा पर मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग में हेड कान्स0 दिलीप घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त घनश्याम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बस्ती के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना पैकोलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 85/2021 धारा 272 भादवि व 60/72 आबकारी अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पैकोलिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—घनश्याम निवासी बेनीपुर थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)।

जनपद अमरोहा/थाना अमरोहा

• 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 26/27.07.2021 को थाना अमरोहा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टी0पी0नगर से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुखबीर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद मुरादाबाद व अमरोहा के विभिन्न थानो पर धोखाधड़ी, आबकारी अधिनियम व गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना अमरोहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0—81/2020 धारा 420/467/468/471/120 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अमरोहा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुखबीर निवासी गली नं०-5 गोविंदनगर थाना कटघर जनपद मुरादाबाद।

जनपद सीतापुर/थाना महमूदाबाद

- 15—15 हजार रुपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 27.07.2021 को थाना महमूदाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिधौली रोड चीनी मिल के पास से 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—राजा उर्फ मो०फिरोज 2—तालिब उर्फ अबू 3—वशीम उर्फ नसीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त वशीम उर्फ नसीम के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना महमूदाबाद पर पंजीकृत मु०अ०सं० 208/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15—15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना महमूदाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—राजा उर्फ मो०फिरोज निवासी सहजानी थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर।
- 2—तालिब उर्फ अबू निवासी सहजानी थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर।
- 3—वशीम उर्फ नसीम निवासी नूरपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद बिजनौर/थाना हीमपुर दीपा

● 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.07.2021 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कश्मीरपुर गढ़ी चौराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त इदरीश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना हीमपुर दीपा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 78/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इदरीश निवासी नसीरपुर शेख थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

जनपद मथुरा/थाना नौहझील

- लूट/चोरी की घटना का अनावरण
 - 10 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 32 हजार 300 रुपये नगद
 - चोरी के 138 गैस सिलेण्डर
 - 12 बोरी सरसो
- 02 अवैध तमंचा 04 जीवित कारतूस
- 02 आयसर कैंटर आदि बरामद

दिनांक 26.07.2021 को थाना नौहझील व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरौठ प्याऊ के पास चेकिंग के दौरान 10 अभियुक्तों 1—सोनू उर्फ अहमद आलम 2— मंकेश्वर 3— रामजीलाल 4— राजू 5— शंकर 6— प्रभू 7— शंकर

8—मानया 9—रामकरण 10—अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लूट/चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 32 हजार 300 रुपये नगद, चोरी के 138 गैस सिलेण्डर, 12 बोरी सरसो, 02 अवैध तमंचा 04 जीवित कारतूस, 02 आयसर कैंटर आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानों में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, सिलेण्डर, सरसो आदि थाना नौहझील पर पंजीकृत लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नौहझील पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—सोनू उर्फ अहमद आलम निवासी अकरोली थाना बनियाठेर जनपद सम्भल।
- 2—मंकाेश्वर निवासी चौनपुर थाना हथुआ जनपद गोपालगंज बिहार।
- 3—रामजी लाल निवासी एलआईसी आफिस के सामने कलेक्ट्री बाई पाल।
- 4—राजू निवासी महाराजपुर थाना सैतल जनपद दौसा।
- 5—शंकर निवासी शान्ति नगर थाना महावीरजी जनपद करौली राजस्थान।
- 6—प्रभू निवासी कुगस थाना आमेर जनपद जयपुर।
- 7—शंकर निवासी एलआईसी आफिस के सामने कलेक्ट्री बाईपास थाना सदर जनपद दौसा राजस्थान।
- 8—मानया निवासी कन्डैरा थाना सवाई माधोपुर जनपद सवाई माधोपुर।
- 9—रामकरण निवासी बादीपुर थाना बादीकुई जनपद भरतपुर राजस्थान।
- 10—अभियुक्ता निवासी सादीपुर थाना बदनामपुर जनपद कटिहार बिहार।

बरामदगी

- 1–32 हजार 300 रुपये नगद।
- 2–चोरी के 138 गैस सिलेण्डर।
- 3–12 बोरी सरसो।
- 4–02 अवैध तमंचा 04 जीवित कारतूस।
- 5–02 आयसर कैंटर आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना गढिया रंगीन

- 04 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार
- लगभग 02 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलोग्राम अवैध अफीम
 - 04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 08 जीवित कारतूस
 - 02 मोटर साइकिल
 - 04 मोबाइल फोन बरामद

दिनांक 27.07.2021 को थाना गढिया रंगीन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पृथ्वीपुर तिराहा से चेकिंग के दौरान 04 मादक पदार्थ तस्कर 1–विटटन 2–वीरेश 3–शेरसिंह 4–अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलोग्राम अवैध अफीम, 04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 08 जीवित कारतूस, 02 मोटर साइकिल, 04 मोबाइल फोन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना गढिया रंगीन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—विटटन निवासी बरौर थाना बजीरगंज जनपद बर्दौयू।
- 2—वीरेश निवासी कोनी अफराबाद जनपद बर्दौयू।
- 3—शेरसिंह निवासी सैजनी थाना मूसलझाग जनपद बर्दौयू।
- 4—अनिल कुमार निवासी कोडा जयकरन थाना हजतरगंज जनपद बर्दौयू।

बरामदगी

- 1—लगभग 02 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलोग्राम अवैध अफीम।
- 2—04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 08 जीवित कारतूस।
- 3—02 मोटर साइकिल।
- 4— 04 मोबाइल फोन।

जनपद बाराबंकी / थाना जैदपुर

- मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार
 - 560 ग्राम अवैध मारफीन
 - 03 मोबाइल फोन
- 01 चार पहिया वाहन बरामद

दिनांक 27.07.2021 को थाना जैदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैशपुर तिराहे के पास से मादक पदार्थ तस्कर मो0उबैद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 560 ग्राम अवैध मारफीन, 03 मोबाइल फोन, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना जैदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0उबैद निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—560 ग्राम अवैध मारफीन।

2—03 मोबाइल फोन।

3—01 चार पहिया वाहन।

जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- 04 कुन्तल 50 किलोग्राम अवैध गांजा
- 01 मोबाइल फोन
- 01 चार पहिया वाहन बरामद

दिनांक 27.07.2021 को थाना कोतवाली उरई व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मडोरा गांव के पास से अभियुक्त सरीफ मुहम्मद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 04 कुन्तल 50 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 मोबाइल फोन, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सरीफ मुहम्मद निवासी मु0रमेणी थाना कोतवाली हमीरपुर, हालपता कादरी कॉलोनी थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।

बरामदगी

1—04 कुन्तल 50 किलोग्राम अवैध गांजा।

2—01 मोबाइल फोन।

3—01 चार पहिया वाहन।

जनपद फिरोजाबाद/थाना रसूलपुर

- मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार
- 01 किलो 250 ग्राम अवैध चरस बरामद

दिनांक 26.07.2021 की रात्रि थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वकील पुरा मण्डी गेट के पास से मादक पदार्थ तस्कर इमरान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 250 ग्राम अवैध चरस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रसूलपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इमरान निवासी मो०कुरैशियान थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—01 किलो 250 ग्राम अवैध चरस।

एस०टी०एफ०— भायेन्दर पुलिस स्टेशन मुम्बई अन्तर्गत दिनांक 21—07—2021 को घटित डकैती सहित हत्या की घटना का अनावरण करते हुए, घटना में संलिप्त 03 नफर अभियुक्तों को माल सहित एस०टी०एफ० ने किया गिरफ्तार।

आज दिनांक 27—07—2021 को एस०टी०एफ०, उ०प्र० व क्राइम ब्रान्च यूनिट—1 एमवीवीवी कमिश्नरेट मुम्बई के संयुक्त टीम द्वारा भायेन्दर पुलिस स्टेशन एमवीवीवी कमिश्नरेट अन्तर्गत दिनांक 21—07—2021 को पंजीकृत मु०अ०सं० 286/21 धारा 396 भादवि (डकैती सहित हत्या की घटना) का सफल अनावरण करते हुये घटना में शामिल 03 नफर अभियुक्तों को उपरोक्त घटना के माल सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:—

- 1— सोनू पुत्र विजय चौहान निवासी गलाफरपुर पकहा, तहसील बांसडीह, थाना सहतवार, जनपद बलिया।
- 2—सुधीर कुमार पुत्र तुलसी चौहान निवासी कुसौरी कला, थाना सहतवार, जनपद बलिया।
- 3— मुन्नी देवी पत्नी लाला वर्मा निवासी गलाफरपुर पकहा, तहसील बांसडीह, थाना सहतवार, जनपद बलिया।

बरामदगी:—

- 1—03 अदद मोबाइल फोन (मृतका का)।
- 2—आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक (मृतका का)।
- 3—2520 /—रूपये नगद।

गिरफ्तारी का स्थान/समय:—

बलिया रेलवे स्टेशन परिसर, बलिया व ग्राम गलाफरपुर पकहा, थाना सहतवार, जनपद बलिया, दिनांक 27-07-2021

दिनांक 21-07-2021 को मुम्बई के भयेन्दर थाना अन्तर्गत भोलानगर झोपड़पट्टी में एक महिला सुमन देवी की हत्या कर उसके घर से जेवरात, मोबाइल, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक, बैंक पासबुक व 38,000 /— रूपये की डकैती की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना भयेन्दर पर मु0अ0सं0 286 /21 धारा 396 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसके सम्बन्ध में संदिग्ध/संलिप्त अभियुक्तों का सम्बन्ध उ0प्र0 के जनपद बलिया की होने की सूचना एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु मुम्बई क्राइम ब्रान्च द्वारा आवश्यक सहयोग मांगा गया था।

इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी को अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में एसटीएफ वाराणसी इकाई के उप निरीक्षक अंगद यादव के नेतृत्व में एक टीम व एपीआई निलेश सिवाले मुम्बई क्राइम ब्रान्च की टीम अभिसूचना संकलन की कार्यवाही कर रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वस्त सूत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर आज दिनांक 27-07-2021 को उक्त अभियुक्तों में से सोनू व सुधीर को रेलवे स्टेशन परिसर जनपद बलिया से तथा मुन्नी देवी पत्नी लाला वर्मा को उसी के ग्राम गलाफरपुर पकहा, तहसील बांसडीह, थाना सहतवार, जनपद बलिया से गिरफ्तार करते हुए उक्त मुकदमें से सम्बन्धित उपरोक्त माल को बरामद किया गया।

पूछताछ पर अभियुक्त सोनू चौहान व सुधीर महाराष्ट्र में एक रबड़ की यूनाइटेड कम्पनी में काम करते थे वहीं सोनू चौहान के गाँव की सुमन अपने पति के साथ भोलानगर झोपड़पट्टी, भयेन्दर महाराष्ट्र में रहती थी, जिसका पति प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था। सोनू व सुधीर का उसके घर पर अक्सर आना जाना होता था। इन लोगों को लगा कि उसके पास 25-30 लाख का गहना व नगद कैश रहता है। लालच में आकर इन लोगों ने सुमन की हत्या कर सोना/गहना व पैसा लूटने का योजना बनायी और घटना को आसानी से अंजाम देने और किसी को कोई संदेह न हो इसकी आवश्यकता समझते हुए अपने गाँव की महिला मुन्नी देवी को योजना बताकर महाराष्ट्र में अपने पास बुला लिया तदोपरान्त सोनू व सुधीर उसी मुन्नी को साथ लेकर दिनांक 21-07-2021 को सायं सुमन के घर पहुँच गये। गाँव के होने के कारण सुमन इन सभी से पूर्व परिचित थी और उन सभी के लिये वह चाय बनाने लगी कि इसी दौरान इन तीनों ने मिलकर सुमन का मूह तथा गला दबाकर हत्या कर दी और वहाँ से उसके जेवरात, 03 अदद मोबाइल, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक, बैंक पासबुक व 38,000/- रुपये लेकर फरार हो गये व बलिया आकर लुक छिपकर रह रहे थे।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तगणों को थाना कोतवाली जनपद बलिया में दाखिल कर अग्रिम विधिक व ट्रांजिस्ट रिमांड आदि की कार्यवाही महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की जा रही है।